न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 237 / 2022 तारीख रजू:– 08.09.2022

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. मौसरिया पुत्र भरत्या, जाति मीना, निवासी कोडिया, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली राजस्थान।
2. सावोली पत्नी मौसरिया, जाति मीना, निवासी कोडिया, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली राजस्थान। ——————————————————सायलान

बनाम

1. केशन्ती पत्नी जगनलाल
2. गिलासी पत्नी शिवराम
3. जोखराम पुत्र भरत्या
4. रमेशी पत्नी कैलासहाय
5. शांतिबाई पत्नी जोखराम
6. कैलासहाय पुत्र भरत्या
7. शिवराम पुत्र भरत्या
8. चेतराम पुत्र मूला
9. तेजराम पुत्र मूला

समस्त जाति मीना, निवासी–कोडिया
तहसील–श्रीमहावीरजी, जिला–करौली

10. कमला पुत्री भरत्या पत्नी रामस्वरूप मीना, निवासी ग्राम पोस्ट दादनपुर, तहसील टोडाभीम, जिला करौली राजस्थान।
11. केशन्ती पुत्री भरत्या पत्नी रामनिवास मीना, निवासी लाहपुरा, तहसील नादौती, जिला करौली राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

12. छोटेलाल पुत्र ठण्डी, जाति मीना, निवासी कोडिया, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली

13. गेंदी पत्नी ठण्डी, जाति मीना, निवासी कोडिया, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली

14. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली

15. सब रजिस्ट्रार, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली। ————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. पी. एल. गोयल एडवोकेट सायलान
2. सीताराम गुर्जर एडवोकेट गैरसालय नं. 4 व 6

निर्णय

दिनांक :– 16.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद 01 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा हाजा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद 02 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1073, रकवा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 1074, रकवा 17 ऐयर, खसरा नम्बर 1455, रकवा 32 ऐयर, खसरा नम्बर 1456, रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 393, रकवा 15 ऐयर, खसरा नम्बर 853, रकवा 24 ऐयर, खसरा नम्बर 870, रकवा 31 ऐयर, कुल किता 7, कुल रकवा 1.43 है० स्थित ग्राम कोडिया, तहसील श्रीमहावीरजी है, जिसमें सायल नम्बर 01, 1/8 हिस्से का व सायल नम्बर 02, 75/578 हिस्से की खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद 03 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 122, रकवा 21 ऐयर, खसरा नम्बर 809, रकवा 15 ऐयर, खसरा नम्बर 873, रकवा 27 ऐयर कुल किता 3, कुल रकवा 63 ऐयर स्थित ग्राम कोडिया, तहसील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

श्रीमहावीरजी है, जिसमें सायल नम्बर 01, 1/8 हिस्से का व सायल नम्बर 02, 75/578 हिस्से की खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद 04 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 155, रकवा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 808, रकवा 14 ऐयर, कुल किता 2, कुल रकवा 26 ऐयर स्थित ग्राम कोडिया, तहसील श्रीमहावीरजी है, जिसमें सायल नम्बर 01, 1/8 हिस्से का व सायल नम्बर 02, 75/578 हिस्से की खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद 05 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 129, रकवा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 130, रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 156, रकवा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 871, रकवा 31 ऐयर, कुल किता 4. कुल रकवा 57 ऐयर स्थित ग्राम कोडिया, तहसील श्रीमहावीरजी है, जिसमें सायल नम्बर 01, 1/8 हिस्से का व सायल नम्बर 02, 75/578 हिस्से की खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद 06 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1119, रकवा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 1122, रकवा 20 ऐयर, कुल किता 2, कुल रकवा 40 ऐयर स्थित ग्राम कोडिया, तहसील श्रीमहावीरजी है, उक्त खाते के सहखातेदार सायल नम्बर 01 के पिता व सायल नम्बर 02 के ससुर भरत्या पुत्र तुलसीराम हिस्सा 1/4 का स्वर्गवास हो गया है तथा उसके तरके पर उसके विधिक वारिस पुत्रगण सायल नम्बर 01 तथा गैरसायल नम्बर 03, 06 व 07 तथा उसकी पुत्री गैरसायल नम्बर 10 व 11 काबिज व दखील हैं। इस प्रकार उक्त आराजीयात में सायल नम्बर 01, 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज व दखील है।

प्रार्थना पत्र के मद 07 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 35 रकवा 15 ऐयर स्थित ग्राम कोडिया तहसील–श्रीमहावीरजी है, जिसमें सायल नम्बर 02 हिस्सा 9/112 की खातेदार काश्तकार है तथा भरत्या पुत्र तुलसीराम के फौत होने से उसके हिस्से 9/28 में सायल नम्बर 01 उसका पुत्र होने से उक्त आराजी में उसका हिस्सा 9/168 है तथा मृतक भरत्या के पुत्र व पुत्रीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायल नम्बर 03, 06, 07, 10 व 11 प्रत्येक 9/168 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं और मृतक के विधिक वारिस होने से उसके तर्क पर काबिज व दखील हैं।

प्रार्थना पत्र के मद 08 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 ता 05 प्रार्थना पत्र सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 ता 09 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है तथा मुतजिक्रा मद नम्बर 06 व 07 प्रार्थना पत्र सायल नम्बर 01, 02 व गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात तथा उक्त आराजीयात पर सायलान संयुक्त रूप से काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 ता 07 प्रार्थना पत्र में सायलान 81 ऐयर हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद 09 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 ता 07 प्रार्थना पत्र का सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 ता 13 ने काश्त की सहूलियत के लिहाज से मौके पर मनबंटनी से वहामी तकास्मा कर रखा है तथा वहामी तकास्मा के अनुरूप सायलान के हिस्से में खसरा नम्बर 129 रकवा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 130 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 873 रकवा 27 ऐयर व खसरा नम्बर 122 रकवा 21 ऐयर, खसरा नम्बर 1074 रकवा 17 ऐयर, इस प्रकार कुल 81 ऐयर पर काबिज व दखील हैं और उस पर नियमित रूप से बजमाने बुजुर्गान काश्त करते चले आ रहे हैं। जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता या सम्बंध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद 10 में दर्ज किया है कि सायल नम्बर 01 के पिता भरत्या का स्वर्गवास होने के कारण उसके हिस्से की आराजीयात पर सायल नम्बर 01 व उसके खास भाई–बहिन गैरसायल नम्बर 03, 06, 07 व गैरसायल नम्बर 10 व 11 काबिज व दखील हैं और उसके हिस्से की खातेदारी अपने हक में कराने के कानूनन मुस्तहक हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद 11 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 ता 07 प्रार्थना पत्र का सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 ता 13 के मध्य विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है, इसलिये सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 ता 13 के मध्य अक्सर अपने–अपने हिस्से को लेकर आपसी तनाजा बना रहता है। वाका दिनांक 10.07.2022 का है कि सायलान आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 ता 07 प्रार्थना पत्र में मनबंटनी से अपने हिस्से में आयी भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 09 प्रार्थना पत्र पर बाजरे की फसल काश्त कर रहे थे कि इतने में ही गैरसायल नम्बर 01 ता 09 आये और कहा कि इन जमीनों पर काश्त मत करो, इनमें हमारा भी हिस्सा है तो सायलान ने कहा कि यह जमीन तो मनबंटनी से हमारे हिस्से में आयी है और हम विगत 30–32 साल से इस जमीन पर नियमित काश्त करते चले आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो तुम तहसील में चलकर मनबंटनी के अनरूप तकास्मा करा लो तो गैरसायलान नाराज हो गये और सायलान को भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा करने की तथा भूमि को दीगर लठैत लोगों को विक्रय कर उनका कब्जा कराने की धमकी दी और विधिवत बंटवारा कराने से इनकार कर दिया। समझाने करने पर भी गैरसायलान मानने को तैयार नहीं है। अगर गैरसायलान अपने उक्त नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को दौराने दावा इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि आराजीयात खसरा नम्बर 129 रकवा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 130 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 873 रकवा 27 ऐयर व खसरा नम्बर 122 रकवा 21 ऐयर, खसरा नम्बर 1074 रकवा 17 ऐयर, इस प्रकार कुल 81 ऐयर स्थित ग्राम कोडिया, तहसील–श्रीमहावीरजी है में सायलान की भूमि से उन्हें जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल नहीं करें तथा भूमि को बिना तकास्मा कराये दीगर लठैत लोगों को रहनवय नहीं करें और ना ही कोई दस्तावेज पंजीकृत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

करावें तथा भूमि को कृषि से अकृषि में नहीं बदलें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे सायलान के उपरोक्त आराजीयात में उनके हक हकूकों व हिस्से को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे तथा सायलान को उक्त आराजीयात में उनके उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही किसी अन्य से करावे। मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.10.2023 को गैरसायल सं0 4 व 6 की ओर से श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 01.09.2025 को गैरसायल सं0 1, 2, 3, 5, 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। गैरसायल सं0 4 व 6 की ओर से श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट ने जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 1 गलत है अस्वीकार है सायलान के उक्त प्रार्थना पत्र के तथ्यों में लेशमात्र भी सत्यता नही है एवं सायलान की सफलता का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 02 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित है जो राजस्व रिकॉर्ड व मौखिक साक्ष्य से साबित होना है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 03 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 3 प्रार्थना पत्र राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित है जो राजस्व रिकॉर्ड व मौखिक साक्ष्य से साबित होना है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 04 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 4 प्रार्थना पत्र राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित है जो राजस्व रिकॉर्ड व मौखिक साक्ष्य से साबित होना है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 05 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 5 प्रार्थना पत्र राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित है जो राजस्व रिकॉर्ड व मौखिक साक्ष्य से साबित होना है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 06 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 6 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नही है। इस मद में वर्णित आराजीयात के सहखातेदार स्व० भरत्या पुत्र तुलसीराम के द्वारा छोड़ी गई आराजीयात पर गैरसायला नम्बर 10 व 11 काबिज व दखिल नहीं है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान मीना जाति पर लागू नहीं होते है और मीना जाति में मेल के जीवित रहते हुये फीमेल यानि पुत्रियों को मृतक की सम्पत्ति में कोई कानूनन हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 07 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 7 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं है इस मद में वर्णित भूमि के सहखातेदार स्व० भरत्या पुत्र तुलसीराम की मृत्यु होने पर कानूनन गैरसायला नं० 10 व 11 का कोई हक व अधिकार नहीं है, और ना ही उक्त वर्णित आराजीयात के किसी भाग पर गैरसायला नं० 10 व 11 का कब्जाकाश्त है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 08 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 8 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है व स्वीकार नही है, प्रार्थनापत्र के मद नम्बर 2 लगायत 7 में वर्णित आराजीयात में दर्ज हिस्से अनुसार सायलान का मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है, बल्कि सायल व गैरसायलान बाहामी बटवारे के आधार पर काबिजकाश्त है, सायलान का यह कथन कतई गलत है कि वे प्रार्थनापत्र के मद नम्बर 2 लगायत 7 में दर्ज भूमि के 0.81 ऐयर हिस्से के खातेदार काश्तकार हो।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 9 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि वे भूमि खसरा नम्बर 129 रकवा 0.7 है० खसरा नमबर 130 रकवा 0.9 है० खसरा नमबर 853 रकवा 0.27 है० खसरा नम्बर 122 रकवा 0.21 है०, खसरा नम्बर 1074 रकवा 0.17 है०, कुल 0. 81 है० पर काबिज व दखिल हो, सायलान का यह कथन भी कतई गतल है कि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उक्त वर्णित आराजीयात से गैरसायलान का कोई सम्बन्ध व वास्ता किसी प्रकार से नही हो।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 10 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नही है, सायलान का यह कथन कतई गलत है कि सायल नं० 1 के पिता स्व० भरत्या का स्वर्गवास होने के कारण उसके हिस्से की आराजीयात पर सायल नं० 1 व उसके भाई–बहन गैरसायल नं0 3, 6, 7 व 10 व 11 काबिज व दखिल हो, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान मीना जाति पर लागू नहीं होते है इसलिये मृतक भरत्या की पुत्रियों / गैरसायल नं0 10 व 11 का पुत्र वारिसान की मौजूदगी में कोई हक व अधिकार कानूनन नहीं बनता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 11 प्रार्थना पत्र गलत है, व स्वीकार नहीं है. दिनांक 10.07.2022 को या किसी भी दिन या किसी भी समय इस मद में वर्णित कोई वातावरण/वार्तालाप सायलान व गैरसायलान के मध्य नही हुआ है, सायलान ने इस मद में दर्ज समस्त कथन कतई गलत व बनावटी महज दावा दायर करने के आशय से दर्ज कराये है, सायलान ने बिना किसी अधिकार व औचित्य के गैरसायलान को तंग व परेशान कर अनुचित लाभ लेने की गरज से प्रार्थनापत्र दायर किया है जो हर प्रकार से खारिज होने योग्य है। सायलान मिन गैरसायलान के प्रति कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। और ना ही गैरसायल के किसी कृत्य से सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति हो रही है, सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

<u>विशेष विवरण :–</u>

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात में से कुछ आराजीयात सायलान व गैरसायलान के रिहायश के काम आ रही है, जिसके बाबत श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय को सुनवाई को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 872 रकवा 0.25 है०, खसरा नम्बर 873 रकवा 0.27 है०, खसरा नम्बर 808 रकवा 0.14 है०, खसरा नम्बर 853 रकवा 0.24 है०, पर गैरसायल नं0 4 व 6 बाहामी बटवारे के आधार पर कबिजकाश्त है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं014 में दर्ज किया है कि गैरसायल संख्या 4 व 6 ने अपने खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 853 का करीब 40 साल पहले कमलसिंह पुत्र रामधन, डोडीराम पुत्र रामधन, होडीलाल पुत्र रामधन, से बदला कर उक्त खसरा नम्बर के बदले में खसरा नम्बर 872 ले लिया है, इस प्रकार खसरा नम्बर 872 पर गैरसायल नं0 4 व 6 काबिज काश्त है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 15 में दर्ज किया है कि सायलान आपस में पति पत्नि है, व अत्यन्त चतुर, चालाक व बेईमान किस्म के व्यक्ति है कि जिन्होने गैरसायलान को तंग व परेशान कर अनुचित लाभ लेने की गरज से बिना किसी अधिकार व औचित्य के कतई गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र दायर किया है जो हर प्रकार से खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं016 में दर्ज किया है कि वादग्रस्त आराजीयात पर सायलान का कब्जा नही है, कब्जे के अभाव में प्रार्थनापत्र सायलान कानूनन मेन्टीनेबिल नही होने से कानूनन खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं017 में दर्ज किया है कि सायलान स्वस्थ हस्त से श्रीमान न्यायालय में नहीं आये है सायलान ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर मेटेरियल फैक्टस को छिपाकर दावा दायर किया है जो हर प्रकार से खारिज होने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जाकर गैरसायलान को सायलान से हर्जा खास दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 किता 5, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान पेश किये है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.13 है0, 1074 रकबा 0.17 है0, 1455 रकबा 0.32 है0, 1456 रकबा 0.11 है0, 393 रकबा 0.15 है0, 853 रकबा 0.24 है0, 870 रकबा 0.31 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी केशन्ती पत्नि जगनलाल हि0 3/8, गिलासी पत्नि शिवराम हि0 75/578, मौसरिया पुत्र भरता हि0 1/8, रमेशी पत्नि कैलासहाय हि0 32/289, शान्तिवाई पत्नि जोखराम हि0 75/578, सावोली पत्नि मोसरिया हि0 75/578 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.20 है0, 1120 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी गिलासी पत्नि शिवराम हि0 1/16, चेतराम पुत्र मूला हि0 1/4, तेजराम पुत्र मूला हि0 1/4, भरत्या पुत्र तुलसीराम हि0 1/4, रमेशी पत्नि कैलासहाय हि0 1/16, शान्तिवाई पत्नि जोखराम हि0 1/16, सावोली पत्नि मोसरिया हि0 1/16 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 0.21 है0, 809 रकबा 0.15 है0, 873 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी केशन्ती पत्नि जगनलाल हि0 1/4, गिलासी पत्नि शिवराम हि0 75/578, जोखराम पुत्र भरतया हि0 1/8, मौसरिया पुत्र भरतया हि0 1/8, रमेशी पत्नि कैलासहाय हि0 32/289, शान्तिवाई पत्नि जोखराम हि0 75/578, सावोली पत्नि मोसरिया हि0 75/578 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 0.12 है0, 808 रकबा 0.14 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी कैलासहाय पुत्र भरतया हि0 1/8, केशन्ती पत्नि जगनलाल हि0 1/8, गिलासी पत्नि शिवराम हि0 75/578, जोखराम पुत्र भरतया हि0 1/8, मौसरिया पुत्र भरतया हि0 1/8, रमेशी पत्नि कैलासहाय हि0 32/289, शान्तिवाई पत्नि जोखराम हि0 75/578, सावोली पत्नि मोसरिया हि0 75/578 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 0.07 है0, 130 रकबा 0.09 है0, 156 रकबा 0.10 है0, 871 रकबा 0.31 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी कैलासहाय पुत्र भरत्या हि0 1/8, गिलासी पत्नि शिवराम हि0 75/578, जोखराम पुत्र भरत्या हि0 1/8, मौसरिया पुत्र भरत्या हि0 1/8, रमेशी पत्नि कैलासहाय हि0 32/289, शान्तिवाई पत्नि जोखराम हि0 75/578, शिवराम पुत्र भरत्या हि0 1/8, सावोली पत्नि मोसरिया हि0 75/578 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी गैंदी पत्नि स्व0 ठण्डी हि0 5/28, गिलासी पत्नि शिवराम हि0 9/112, छोटेलाल पुत्र ठण्डी हि0 5/28, भरत्या पुत्र तुलसीराम हि0 9/28, रमेशी पत्नि कैलासहाय

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हि0 9/112, शान्तिवाई पत्नि जोखराम हि0 9/112, सावोली पत्नि मोसरिया हि0 9/112 जाति मीना सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में सायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदारों ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारा में विवादित आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 0.07 है0, 130 रकबा 0.09 है0, 873 रकबा 0.27 है0, 122 रकबा 0.21 है0, 1074 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी सायलान के हिस्से में आना प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है। गैरसायल सं0 4 व 6 ने जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 लगायत 7 में में वर्णित आराजीयात में दर्ज हिस्से अनुसार सायलान का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है बल्कि सायल व गैरसायलान बाहमी बंटवारे के आधार पर काबिज काश्त हैं। इसलिए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 0.07 है0, 130 रकबा 0.09 है0, 873 रकबा 0.27 है0, 122 रकबा 0.21 है0, 1074 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे इसलिए गैरसायलान को उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 0.07 है0, 130 रकबा 0.09 है0, 873 रकबा 0.27 है0, 122 रकबा 0.21 है0, 1074 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

07 है0, 130 रकबा 0.09 है0, 873 रकबा 0.27 है0, 122 रकबा 0.21 है0, 1074 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली